दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 01-08-2025

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस

सहायक रजिस्ट्रार के आदेश को संघ ने दी है चुनौती

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को दिए गए आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब 5 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बाइलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। कार्यक्रम के अनुसार तीन माह के भीतर चार स्तरों पर चुनाव होने थे। इस बीच किसी ने रजिस्ट्रार से शिकायत की। रजिस्ट्रार से इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सहायक रजिस्ट्रार ने पारित किया था। इस आदेश को संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने का आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही 14 जुलाई 2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।